अनुलग्नक

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम

विषय: वर्ष 2010-11 के दौरान सामग्री की बिक्री के लिए दिशानिर्देश नीति।

आमुख:

1.0 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वित्त वर्ष 2010-11 के लिए मौजूदा इकाइयों से 3.135 मिलियन टन इस्पात की मात्रा का उत्पादन करने की योजना बना रही है। यह सूचित किया गया है कि विस्तार इकाइयों से 0.335 मिलियन टन उपलब्ध होगा, जिससे वर्ष 2010-11 के दौरान कुल बिक्री के लिए 3.470 मिलियन टन को उपलब्ध होगा। विचार में किए गए विस्तारण में आंतरिक खपत और अन्य आवश्यकताओं के लिए 46000 टन की मात्रा से प्रारंभिक स्टॉक पूरा किया जा सकता है। अतः, वित्त वर्ष 2010-11 हेतु 3.47 मिलियन टन के लिए बिक्री योजना तैयार किया गया है।

बिक्री नीति:

2.0 क्षेत्रीय प्रबंधकों और संबद्ध क्षेत्रों में पिछले वर्ष के बिक्री(मात्रा और एन एस आर दोनों) के अनुसार तैयार की गयी आवश्यकता के आधार पर क्षेत्र-वार बिक्री योजना पर विचार किया गया।

3.0 वर्ष 2010-11 के लिए बिक्री योजना अनुलग्नक-4 में सूचितानुसार होगी। योजना सांकेतिक है, जिसमें संबद्ध प्रदेशों की उपलब्धता और बाजार की दक्षता के अनुसार बदलाव की संभावना है।

माइल्ड इस्पात (एम एस), कम कार्बन (एल सी) व मूल्य वर्धित इस्पात (वी ए एस) श्रेणियों की परिभाषा:

4.0 उपर्युक्त बिक्री योजना में निम्न सूचितानुसार श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाएगा। हालांकि, संयंत्र द्वारा एम एस व एस एस श्रेणियाँ उत्पादन अनुवीक्षण आदि उपयोग की जानेवाली के तहत जारी रहेगी। माल की आवश्यकताएँ और बिक्री से संबंधित अनुवीक्षण पहले किया गया निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर ही होगा।

उत्पाद	श्रेणियों का विवरण		
	एम एस	एल सी	वी ए एस
ब्लूम, बिल्लेट व स्क्वेयर	आई एस2830, आई एस14650, आई एस2831, ड्ब्ल्यू टी	एस ए ई1006 से एस ए ई1018	एम एस व एल सी के अलावा
ड्ब्ल्यू आर सी	आई एस7887, आई एस2062, आई एस1977	एस ए ई 1006 से एस ए ई1018	एम एस व एल सी के अलावा
राउंड्स	आई एस2062, आई एस1977		
रीबार्स	एफई415, 500 व500डी		सी आर एस
संरचनाएँ	सभी श्रेणियाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

विविध खंडों को सामग्री की बिक्रीः

5.0 निम्न सूचितानुसार विविध खंडों को सामग्री की बिक्री की जाती है:

उत्पाद	परियोजना/एस एस आई/ वास्तविक उपयोगकर्ता	खुदरे व्यापारी/ डी एल डी/अन्य	ई-नीलामी
ड्ब्ल्यू आर सी व सेमिस	100%	-शून्य-	-शून्य-
रीबार्स व संरचनाएँ	50%	40%	10%
राउंड्स	55%	35%	10%
स्क्वेयर्स	70%	20%	10%

6.0 विविध खंड या योजनाओं को बेहतर प्रयास के आधार पर सामग्री की बिक्री की जाती है ताकि यथासंभव उपर्युक्त वांछित प्रतिशत को प्राप्त किया जा सके| सूचित प्रतिशत अनिवार्य नहीं है तथा संबंधित खंडों में उगाही कम हो तो, कम किया जा सकता है| निर्दिष्ट खंड में उगाही हेतु अच्छे दर मिलने की मौका पाए जाने पर, कम दरवाले खंड से सामग्री की स्थानांतरण द्वारा वहाँ की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है|

7.0 खुली बिक्री के आधार पर कच्चा लोहा बेचा जाएगा| सभी ग्राहकों से मासिक आवश्यकता के आधार पर कच्चा लोहा की बुकिंग स्वीकृत की जाएगी|

8.0 क्षेत्रीय प्रबंधक विविध खंडों के अधीन बिक्री की समीक्षा कर सकते हैं और बाजार की आवश्यकता के अनुसार और उपर्युक्त अनुच्छेद 6.0 में सूचितानुसार एन एस आर के आधार पर खंड-वार बिक्री में बदलाव उगाह करना हो तो, उसकी स्वीकृति दे सकते हैं| महा प्रबंधक (विपणन) को महीने के दौरान की गई खंड-वार बिक्री, बदलाव के कारण तथा निवारण कार्यों को सूचित करते हुए एक प्रतिवेदन भेजा जाएगा|

योग्यता के मानदंडः

9.0 निम्नलिखित ग्राहक नियमित ग्राहकों के रूप में माने जाएंगे और इस्पात सामग्री को पहले ही बुक कर सकते हैं|

अ) वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक उपयोगकर्ता खंड के अधीन सामग्री लेनेवाला ग्राहक|

आ) विपणन के विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के साथ शाखा द्वारा पंजीकृत नए वास्तविक ग्राहक गण|

इ) वैध पंजीकरण के साथ खुदरे व्यापारी और ग्राहक|

ई) इस्पात मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एस एस आई सी और एन एस आई सी होंगे|

उ) (निकाला गया)

ऊ) परियोजना ग्राहक

बिक्री प्रक्रियाः

10.0 सभी नियमित ग्राहक अग्रिम के रूप में एम टन* के लिए 500/- रुपए के दर पर प्रतिभूति जमा करके सामग्री को बुक कर सकते हैं| एस एस आई सी/एन एस आई सी ग्राहकों पर प्रतिभूति जमा करने के लिए जोर नहीं डाला जाएगा| शाखा ऐसी आवश्यकताओं का पंजी करेगा और शाखा को प्राप्त सामग्री के अनुसार ऐसी आवश्यकताओं की सेवा हेतु योजना बनाएगी| निम्नलिखितानुसार ग्राहकों के लिए मासिक बुकिंग अनुबंधित होगीं:

अ) वास्तविक उपयोगकर्ता-इकाई की स्थापित मासिक क्षमता से 120% से अधिक नहीं हो|**

आ)   खुदरे व्यापारी और डी एल डी-खुदरे व्यापारी/डी एल डी नीति के अनुसार स्वीकृत मात्रा 120% से अधिक नहीं हो|

इ)   एस एस आई सी और एन एस आई सी को-भारत सरकार के निदेशों के अनुसार|

ई)   (निकाला गया)

उ)   परियोजना ग्राहक-ग्राहक द्वारा स्वीकृत अनुसूची के अनुसार|

* संयंत्र से सीधे प्रेषण के लिए उत्पादों के अग्रिम बुकिंग हेतु प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौजूदा प्रत्यक्ष प्रेषण तरीके के अधीन ये बुकिंग पहले से शामिल है|

** मौजूदे और नए ग्राहकों के मामले में, उनके स्थापित इकाइयों की क्षमता को सूचित करते हुए डी आई सी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र (या नोटरी की गयी उसकी प्रति) का उपयोग करना होगा| यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो, सनदी अभियंता का प्रमाण पत्र को स्वीकृति दिया जाएगा| तदनुसार, अनुलग्नक-III में दिया गया प्रपत्र के दिशानिर्देशों की जरूरत नहीं है और उसे रद्द समझा जाए|

10.0अ प्रतिभूति जमा के भुगतान द्वारा माल का अग्रिम बुकिंग करनेवाले ग्राहक परस्पर स्वीकृत प्रेषण अवधि के अंत तक वास्तव में उठाई गई मात्रा पर प्रति एम टी के लिए 100/-रुपए अग्रिम बुकिंग प्रोत्साहन के रूप में लेने के पात्र होंगे, बशर्ते कि ग्राहक द्वारा सभी संबंधित शर्तों की पूर्ति सफलतापूर्वक पूरी की गई हो| प्रोत्साहन का भुगतान एकमुश्त में की जाती है|

{यह प्रावधान दि.1 जुलाई, 2010 को या उसके तदुपरांत किए गए अग्रिम बुकिंग हेतु भावी प्रयोजनों के लिए लागू होगा}

11.0 नियमित ग्राहक अपनी साइज-वार तथा श्रेणी-वार आवश्यकता को प्रति महीने के तीसरी तारीख तक शाखा को सूचित करेंगे| इस संबंध में पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में कार्य अवश्य प्रारंभ होता है| सिर्फ प्रमुख श्रेणियों की आवश्यकता को दिखाना होगा| फिर भी, समझौता ज्ञापन के संबंध में उपलब्धता के साथ-साथ परस्पर करार के आधार पर ओ जी, सी जी, ऑफ, एस एल, ओ डी, ई सी, छाँटे गए, त्रुटिपूर्ण जैसे सामान्य सामग्री की आपूर्ती भी की जा सकेगी|

12.0 ग्राहकों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं, प्राप्त प्रेषण योजना और तदुपरांत महीने की अनुमानित सामग्री के संबंध में विचार करने के पश्चात शाखा कार्यालय ग्राहकों को उपलब्ध मात्रा पर विचार करता है| उपलब्धता और प्रेषण अनुसूची की संभाव्यता के संबंध में ग्राहकों को 5वीं तारीख तक संप्रेषण किया जाएगा| प्रेषण अनुसूची की अवधि 45 दिनों तक हो सकती है| स्वीकृत योग्य प्रेषण अनुसूची को तय करने के लिए शाखा कार्यालय संकेतिक रोलिंग योजना पर विचार कर सकता है|

13.0 अनेक साइज तथा श्रेणियों को लेनेवाले इच्छुक ग्राहक उनकी कुल आवश्यकता का कम से कम 90% मात्रा की आवश्यकता के लिए साइज-वार तथा श्रेणी-वार पूरी आवश्यकता की पुष्टि सूचित कर सकते हैं| ऐसी स्थिति में, शाखा साइज तथा श्रेणी-वार आवश्यकताओं को प्रेषण अनुसूची के साथ उपर्युक्त से संबंधित उपलब्धता को सूचित करेगी| हालांकि, ग्राहक पूरी आवश्यकता के लिए उपर्युक्त सूचित देय तिथियों के अनुसार प्रतिभूति जमा चुकाएगा| ग्राहक शेष मात्रा के लिए साइज-वार, श्रेणी-वार आवश्यकता महीने की 25वीं तारीख तक सूचित कर सकता है| शाखा परस्पर करार के आधार पर 30 दिनों के भीतर 28वीं तारीख तक प्रेषण अनुसूची को सूचित करते हुए सामग्री की उपलब्धता की पुष्टि करेगा| किसी भी कारणवश कोई कम बुकिंग के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा|

14.0 उपलब्धता एवं प्रेषण अनुसूची की प्राप्ति पर, ग्राहक प्रेषण अवधि की उपयुक्तता और उन्हें सूचित मात्रा के संबंध में विचार कर सकते हैं एवं क्रय आदेश दे सकते हैं या उपर्युक्त सूचितानुसार महीने की 10वीं तारीख तक प्रतिभूति राशि को जमा करते हुए बुकिंग की पुष्टि कर सकते हैं| निर्दिष्ट उत्पाद, साइज और श्रेणी की

आवश्यकता को एक अलग बुकिंग के रूप में माना जाएगा तथा 12 एम टी तक की कम उठाई को विफलता नहीं माना जाएगा| रेल द्वारा प्रत्यक्ष प्रेषण के मामले में किसी डी ओ मात्रा के लिए कम उठाई की शर्त लागू नहीं होगी| स्वीकृत प्रेषण अवधि में बुकिंग की गयी मात्रा को सफलतापूर्वक उठाने पर ग्राहकों को प्रतिभूति जमा वापस की जाएगी|

15.0 स्टॉक के रूप सभी इस्पात उत्पाद तथा यार्ड में आनेवाले इस्पात उत्पाद संबद्ध ग्राहकों को उनके अग्रिम बुकिंग अनुपात/प्रेषण अवधि के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किया जाएगा| माल की उठाई 10 दिनों के अंदर (आबंटित दिन को भी मिलाकर) या महीने का अंत, जो पहले हो, होगी| वरिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा 3 कार्य दिवस तक डी ओ की अवधि बढ़ाई जाएगी {कारण/कारणों को अभिलेखित किया जाय}| अनुमति योग्य 12 एम टी की कम उठाई को छोड़कर स्वीकृत प्रेषण अनुसूची के अंदर मात्रा की उठाई में विफल होने पर, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा जब्त किया जाएगा| बारंबार विफलता के मामले में (एक तिमाही में खंड 22.0 में परिभाषितानुसार दो से अधिक आदेश) अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए ग्राहक द्वारा आगे की बुकिंग स्वीकृत नहीं की जाएगी|

16.0 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड उपर्युक्त अनुसार बुकिंग किए गए माल की आपूर्ती करने में यथासंभव प्रयास करेगा| फिर भी, सामग्री की आपूर्ती करने में विफल होने पर, 30 दिनों की अवधि के लिए प्रेषण की समयावधि को बढ़ायी जा सकती है या परस्पर करार के आधार पर बुकिंग को पहले बंद किया जाएगा| पहले बंद किए जाने पर, ग्राहक को प्रतिभूति जमा वापस की जाएगी|

16.0अ: प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं {ई-नीलामी, एन एस आई सी/एस एस आई सी, डी एल डी, अग्रिम बुकिंग} {संदर्भ खंड 24.0अ} और परियोजना समझौता ज्ञापन*, पर विचार करने पर समझौता ज्ञापन की मात्राओं** के अनुपात में समझौता ज्ञापन के ग्राहकों को 2 कार्य दिवस की वैधता के साथ माल आबंटित किया जाएगा| डी ओ के दिन से 3 कार्य दिवस की अवधि के अंदर माल की उठाई होगी| वरिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा 3 कार्य दिवस तक डी ओ की समयावधि बढ़ाई जाएगी| {कारण/कारणों को अभिलेखित किया जाय } डी ओ की मात्रा में अंतर और विफलता के संदर्भ में कार्रवाई तत्काल बिक्री की तरह होगी|

* परियोजना समझौता ज्ञापन के संबंध में परस्पर स्वीकृत अनुसूची के अनुसार या परियोजना बिक्री नीती के अनुसार कार्य किया जाएगा|

** उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन का अनुपात शाखा बिक्री योजना एवं विविध समझौता ज्ञापन में विनिर्दिष्ट मात्राओं के आधार पर उत्पाद के लिए गणना किया जाएगा|

17.0 बुकिंग किए गए माल से नहीं उठाई गई मात्रा सहित अधिक बुकिंग के कारण उपलब्ध माल और नीति के अनुसार ई-नीलामी की आवश्यकता, यदि हो तो, माल स्पॉट बिक्री के द्वारा बेचा जाएगा|

18.0 'पहले आनेवाले को प्राथमिकता' के आधार पर किसी भी ग्राहक को तत्काल बिक्री के अधीन माल की बिक्री की जाती है| तत्काल बिक्री के अधीन उपलब्ध मात्रा का विवरण दिनवार सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा| शाखा कार्यालय भी इन विवरणों के अभिलेख को एक पंजी में रखरखाव करेगा| भविष्य में कंप्यूटरीकृत पद्दति के माध्यम से इन विवरणों के अभिलेख हेतु एक प्रावधान होगा|

19.0 शाखा कार्यालय तत्काल बिक्री के आधार पर निम्नसूचित प्रपत्र में माल के लिए प्राप्त अनुरोधों को अभिलेखित करने हेतु एक पंजी का रखरखाव करेंगे| ऐसे अनुरोधों को ऑनलाइन के माध्यम से पंजी करने हेतु भविष्य में एक प्रावधान उपलब्ध किया जाएगा| तब तक, शाखा प्रबंधकों को शाखा को प्राप्त अनुरोधों के क्रम में अनुरोधों का अभिलेखन उचित रूप में सुनिश्चित करना होगा| बिक्री नीति में लिखित अनुसार स्पॉट बिक्री के लिए किसी निर्दिष्ट दिन प्रदर्शित मात्रा को ही स्पॉट वितरण हेतु अनुबंधितानुसार तत्काल बिक्री पंजी में पंजीकृत कर सकते हैं|

दिनांक	समय	ग्राहक कोड के साथ ग्राहक का विवरण, यदि उपलब्ध हो तो	फोन नं. के साथ संपर्क व्यक्ति	साइज व श्रेणी के साथ आवश्यक माल	आवश्यक मात्रा (एम टी)	रिक्त	ग्राहक का हस्ताक्षर	क्या प्रस्ताव जारी किया जाय?यदि हाँ तो, दि.को सूचित करें	डी ओ सं. व दि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20.0 (निकाला गया)

21.0 स्पॉट बिक्री में, दो कार्य दिवस की अवधि के लिए प्रस्तवों का बैधता रहेगी| डी ओ के दिन से 3 कार्य दिवस के अंदर माल उठाई जाएगी| वरिष्ठ शाखा प्रबंधक द्वारा 3 कार्य दिवस के लिए डी ओ की अवधि बढ़ाई जा सकती है| {कारण/कारणों को अभिलेखित किया जाय}|

22.0 ऐसे गाहक जो अनुबंधित अवधि (उपर्युक्त खंड 21.0 में दिए गए अनुसार) के अंदर माल नहीं उठाते हों, उनका स्पॉट पंजीकरण अनुरोध स्वीकर नहीं किया जा सकता और कम से कम दो महीने तक आबंटन का प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा| आबंटित मात्रा पर प्रति उत्पाद के लिए 12 एम टी तक मात्रा में अंतर की अनुमति दी जाएगी| इस मात्रा तक कम उठाई को उपर्युक्त सूचितानुसार दांडिक कार्रवाई हेतु विफलता के रूप में नहीं माना जाएगा| हालांकि, समझौते ज्ञापन के ग्राहक स्पॉट बिक्री में उपर्युक्त सूचितानुसार विफल होने के बावजूद भी प्रतिभूति जमा के साथ अग्रिम बुकिंग की अनुमति जारी रखी जाएगी|

23.0 क्षेत्रीय प्रबंधक उनके दौरे के दौरान पंजियों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु शाखा कार्यालय में तिमाही में एक बार ऐसी पंजी की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के अभिलेख हेतु पंजी में अपना हस्ताक्षर करेंगे|

24.0 यदि स्पॉट बिक्री के अधीन उपलब्ध मात्रा प्राप्त अनुरोध/पंजीकरण से ज्यादा हो तो, किसी ग्राहक को बाजार में प्रचलित दर पर स्टॉक को बेचने हेतु शाखा और क्षेत्र विशेष प्रयास करेगा|

24.0अ प्राथमिकीकरण:

यदि कोई विवाद हो तो, प्राथमिकता का क्रम निम्नलिखितानुसार होगा: ई-नीलामी, एन एस आई सी/एस एस आई सी, जिला स्तरीय डीलरशीप, वास्तव में उपयोग करनेवाला/परियोजना द्वारा अग्रिम बुकिंग, खुदरे व्यापारी द्वारा अग्रिम बुकिंग, परियोजना/वास्तव में उपयोग करनेवाला समझौता ज्ञापन के ग्राहक, खुदरे व्यापार के समझौते ज्ञापन के ग्राहक और स्पॉट बिक्री|

माल का मूल्य निर्धारण:

25.0 पहले ही परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार ई-नीलामी बिक्री के दर ग्राहकों द्वारा कोट किए गए अनुसार होंगे| अन्य सभी बिक्रियों के लिए, विशेष रूप से स्वीकृत परिस्थितियों के अलावा माल के प्रेषण की तारीख को मौजूदा दर (बी एल पी) लागू होगा| फिर भी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा महीने के दौरान प्रति एम टन 500/- रुपए से ज्यादा संचय दर बढ़ाए जाने पर नियमित ग्राहकों को उनकी बुकिंग की समीक्षा करने हेतु अनुमति दी जाएगी| यदि खंड में दी गयी अनुमति के अनुसार दर बढ़ौत्तरी के कारण कोई ग्राहक अपनी बुकिंग को रद्द करना चाहते हैं तो, दर परिपत्र जारी होने के दिन से 7 दिनों के अंदर उसके संबंध में शाखा कार्यालय को संप्रेषण करना होगा|

25.0अ भुगतान के निबंधन:

विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा सामन्य तौर पर ग्राहक को अग्रिम भुगतान करना है। स्थानीय शाखा कार्यालय के क्षेत्र में भुगतान योग्य डी डी/डा आ/आर टी जी एस/एन ई एफ टी/चैक * द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

* सिर्फ चुने गए ग्राहकों को ही चैक सुविधा उपलब्ध है। इस संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार चैक सुविधा बढ़ाई जाएगी।

ई-नीलामी:

26.0 खंड 5.0 में विनिर्दिष्ट अनुसार शाखाओं द्वारा मासिक बिक्री की औसतन 10% मात्रा ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। इस प्रधान ई-नीलामी के लिए संरक्षित दर मूल्य निर्धारण परिपत्र में परिभाषितानुसार निम्नतम प्रचालन दर (संबंधित उपलब्ध मात्रा हेतु) होगा।

27.0 दर निर्धारण व नीति अनुभाग द्वारा समाचार पत्रों में तिमाही में एक बार एक सामान्य सूचना को प्रकाशित करते हुए यह जानकारी दी जाएगी कि वी एस पी प्रधान सामग्री की कुछ मात्रा को प्रति महीने ई-नीलामी के माध्यम से बेचती है और संभाव्य ग्राहकों से आगे के विवरण के लिए नियमित रूप से वी एस पी के वेबसाइट को देखते रहने का अनुरोध किया जाएगा। सभी जाने-पहचाने ग्राहकों को ई-नीलामी की अनुसूची ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। क्षेतीय व शाखा कार्यालयों द्वारा अलग से विज्ञापन जारी करने की जरूरत नहीं है।

कुल मात्रा प्रोत्साहन योजना:

28.0 सभी नियमित ग्राहक उनके द्वारा उठाई जानेवाली आवश्यक मात्रा को सूचित करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। समझौता ज्ञापन के लिए सुझाया गया प्रपत्र अनुलग्नक-II में रखा गया है।

29.0 विविध क्षेत्रों में एक ही नाम और ढंग से कई इकाइयों के साथ प्रचालन करनेवाले कंपनियाँ/संस्थाएँ एकल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। संघों, समूहों सहायक कंपनियों (असंबद्ध कंपनियों के साथ) के साथ भी एकल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे समझौता ज्ञापन के समय सभी सहभागी नाम सूचित करते हैं।

30.0 अनुच्छेद 40.0 के अनुसार तिमाही मात्रा और समझौता ज्ञापन की मात्रा/संशोधित समझौता ज्ञापन की मात्रा में से न्यूनतम 90% उठाई करने वाले ग्राहक टी क्यू आई के पात्र होंगे और समझौता ज्ञापन की पूर्ति में सफल माने जाएँगे।

31.0 परस्पर करार के आधार पर समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को बढ़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुरोध की प्राप्ति के समय उठाई गई मात्रा समझौता ज्ञापन की मात्रा से 90% कम हो। समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

32.0 समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को मूल समझौता ज्ञापन की मात्रा के 90% तक कम किया जा सकता है। समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान किसी भी समय समझौता ज्ञापन की मात्रा को 90% तक कम करने का विकल्प है।

33.0 सी एस ए तथा परियोजना ग्राहक को छोड़कर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करनेवाले सभी नियमित ग्राहक निम्न खंड सं. 37.0 में सूचितानुसार योग्य मात्रा पर टी क्यू आई के पात्र होंगे। परियोजना बिक्री ग्राहकों के लिए टी क्यू आई परियोजना बिक्री नीति के अनुसार होगा। सी एस ए और गैर-समझौता ज्ञापन के ग्राहकों के लिए टी क्यू आई लागू नहीं है।

34.0 सिर्फ मुख्य श्रेणियों के लिए ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा सकता हैं| फिर भी, समझौता ज्ञापन के संबंध में उपलब्धता के साथ-साथ परस्पर करार के आधार पर ओ जी, सी जी, ऑफ, एस एल, ओ डी, ई सी, छाँटे गए, त्रुटिपूर्ण जैसे सामान्य माल को भी आपूर्ती कर सकेंगे|

35.0 निम्नलिखित प्रत्येक कोड संख्या के विरुद्ध दिए गएग्राहक अपनी खपत के लिए आवश्यक किसी एक या उत्पादों के मिश्रण का चयन ग्राहक कर सकते हैं और उत्पाद-वार संभावित ब्रेक-अप के साथ संपूर्ण मात्रा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं| वास्तव में उपयोग करनेवाले और परियोजना ग्राहक सिर्फ निजी-खपत के लिए उत्पादों का चयन कर सकते हैं| यदि ग्राहक विविध कोड संख्याओं के उत्पादों को चाहते हैं तो, बहु समझौता ज्ञापन की अनुमति भी दी जाती हैं| प्रत्येक समूह की श्रेणियों के विवरण की सूची अनुलग्नक-1 में है|

क्र. सं.	कोड संख्या	उत्पाद
1	एस एस-1	एच सी वॉयर रॉड क्वॉयल
2	एस एस-2	स्क्वेयर्स, बिल्लेट्स व ब्लूम्स-स्प्रिंग स्टील
3	सी एस-1	वॉयर रॉड क्वॉयल व राउंड्स (समूह-1 व 2 तथा एम सी-एच एमएन)
4	सी एस-2	राउंड्स तथा सेमीस (समूह 2 व 3 तथा एम सी-एच एमएन)
5	सी एस-3	रीबार्स, संरचनाएँ व राउंड्स (सभी श्रेणियाँ)

36.0 समझौता ज्ञापन के ग्राहक द्वारा ग्राहक द्वारा उठाई गयी सभी जैसे अग्रिम बुकिंग, तत्काल बिक्री, ई-नीलामी, निविदा, आदि के सभी प्रकार के बिक्रियों के अधीन उठाई गई मात्रा पर समझौता ज्ञापन की पूर्ति के लिए विचार किए जाएंगे| हालांकि, ई-नीलामी और निविदा के अधीन उठाई गई मात्रा के लिए टी क्यू आई देय नहीं होगा| यदि समझौता ज्ञापन अधिक संख्या में हो तो, ऐसी मात्राओं को किसी अन्य समझौते ज्ञापन के बीच ग्राहक के वांछितानुसार निविदा और ई-नीलामी के माध्यम से वितरण किया जा सकता है| ग्राहक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय ऐसे विकल्प का उपयोग कर सकते हैं|

37.0 सभी ग्राहक समझौता ज्ञापन की सफलतापूर्वक पूर्ति करने पर, निम्नसूचित अनुसार फ्लेट स्लॉब में योग्य मात्रा से संबंधित कुल मात्रा प्रोत्साहन के पात्र होंगे, बशर्ते कि निम्नसूचितानुसार पात्रता के मानदंड की पूर्ति करें:

कुल मात्रा प्रोत्साहन में रुपए प्रति एम टन	एस एस-1/एस एस-2/सी एस-1/सी एस-2 वर्ष 2010-11 की उठाई		सी एस-3 वर्ष 2010-11 की उठाई	
	से अधिक (एम टी)	तक (एम टी)	से अधिक (एम टी)	तक (एम टी)
50	240	1500	500	2400
75	1500	4500	2400	7200
100	4500	9000	7200	14400
125	9000		14400	

38.0 सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन की पूर्ति, लेकिन मूल/बढ़ाई गई समझौता ज्ञापन की पात्र मात्रा से अधिकतम 120% तक उठाई जाने पर टी क्यू आई का भुगतान किया जाएगा| नीति के अधीन दी गयी अनुमति के अनुसार ग्राहक यदि मात्रा को कम करने के विकल्प का उपयोग करते हैं तो, समझौता ज्ञापन की कम की गयी मात्रा पर टी क्यू आई लागू होगा न कि समझौता ज्ञापन के 120% तक| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा मात्रा को कम करने का विकल्प का उपयोग किए जाने पर, कम की गयी समझौता ज्ञापन की मात्रा का 120% तक टी क्यू आई लागू होगा|

39.0 समूह समझौता ज्ञापन भी अनुमोदित है| टी क्यू आई की गणना के लिए समूह के द्वारा किए गए सभी क्रय जोड़ा जाएगा, जब वे सभी इकाइयों के नाम को सूचित करते हुए एक एकल वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तदुपरांत बढ़त या कमी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी|

40.0 टी क्यू आई के पात्र होने के लिए ग्राहकों को न्यूनतम उठाई द्वारा नीचे दिए गए मानदंडों की पूर्ती करनी है|

अ) तिमाही-1 के समझौता ज्ञापन – प्रथम दो तिमाहियों में 40%, यानि दि.30 सितंबर, 2010 तक उठाई|

आ) तिमाही-2 के समझौता ज्ञापन – तिमाही–2 में 20%, तिमाही 2 व 3 में 55%.

इ) तिमाही–3 के समझौता ज्ञापन – तिमाही-3 में 40%.

ई) वार्षिक पूर्ती-कुल समझौता ज्ञापन का 90%

उपर्युक्त (अ), (आ), (इ) में सूचित मानदंड के अनुसार पूर्ती करने में विफल ग्राहक, टी क्यू आई राशि का 90% के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे उपर्युक्त (ई) का पूर्ति किए हो| हालांकि, मात्रा की पूर्ति के मानदंड से एस एस आई सी और एन एस आई सी को छुट दिया गया है और उपर्युक्त 37.0 की सारणी के अनुसार वास्तव में उठाई गई मात्रा के लिए 100% टी क्यू आई के पात्र होंगे|

41.0 विनिर्माण सुविधा के निरीक्षण के उपरांत तत्काल बिक्री के आधार पर कम से कम लगातार दो महीने की अवधि तक माल लेते हुए वास्तव में उपयोग करनेवाले सभी ग्राहकों को 'नियमित ग्राहक' माना जा सकेगा| ऐसे ग्राहक तदुपरांत तिमाही के प्रारंभ में समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर कर सकते हैं और उपर्युक्त 40.0 में सूचितानुसार निम्नतम उठाई के पैरामीटर की पूर्ति करनी होगी| इकाइयों के निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकताएँ एवं प्रमाणीकरण अनुलग्नक-**III** में है|

42.0 फ्लेट सीमा के आधार पर उपर्युक्त सारणी 37.0 में सूचितानुसार समझौता ज्ञापन की मात्रा के अनुरूप ग्राहक टी क्यू आई के लिए पात्र होंगे| टी क्यू आई की राशि पूर्ण और एकमुश्त होगी और सीमा शुल्क, शिक्षा कर, बिक्री कर, वेट आदि जैसे सांविधिक उगाही के लिए किसी प्रकार के समायोजन के बिना साख सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी|

43.0 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि के पिछले महीने के दौरान यदि आमोदित आदेशों के तहत माल की आपूर्ती नहीं किए जाने पर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने विवेक से ऐसी मात्राओं की पूर्ति करने या तत्पश्चात महीने के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने के संबंध में विचार कर सकता है|

ऋण:

44.0 कंपनी की आवश्यकताओं और ग्राहक की ऋण योग्यता के आधार पर प्रबंधन के विवेचन के अनुसार पात्र ग्राहकों को साख बढ़ाया जा सकता है|

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

इस नीति में सभी प्रकार के परिवर्तन के लिए निदेशक (वाणिज्य) के अनुमोदन की जरूरत है|

संलग्न: अनुलग्नक-**I, II, III** व **IV**

टी क्यू आई योजना के अधीन शामिल उत्पद-वार व समूह-वार की श्रेणियाँ

उत्पाद	समूह	श्रेणियाँ
वायर रॉड	समूह-1	आई एस2062 ई250ए/ई250बी/ई165, आई एस7887, एम एस ओ जी/एम एस ओ एफ एफ/एम एस सी जी, एल सी के, त्रुटिपूर्ण, सी ए क्यू, ई क्यू, आई एस2879, सी एच क्यू1010/सी एच क्यू1018, वाईजाग-सी ओ2(एस3/एस4), एस ए ई1006एस, एस ए ई1010ड्ब्ल्यू, एस ए ई1010एस, एस ए ई1006 से 1022,एस ए ई1023एस, ई एन32बी, 10बी21एम/15बी25एम, 15बी41
वायर रॉड	हेच सी	हेच सी50-हेच सी85, हेच सी75सी आर, हेच सी85सी आर, पी सी115, वाईजाग-टी बी क्यू, एच सी सीजी, पी सी सी जी, हेच सी ओ एफ एफ
वायर रॉड	एमसी-हेच एमएन	एस ए ई1030, 35सी8,ई एन8ए, ई एन8, ईन8डी, सी के45, एस ए ई1524एस, एस ए ई1541, एस ए ई1524सीआर, एम सी सी जी एमएन, 16/20एम एन सीआर5, एमएन सीआर5सी जी, सी-70, एम सी सी जी सी आर, एम सी ओ एफ एफ, एम सी सी जी
राउंड्स	समूह-II	आई एस2062 ई250ए/ई250बी/ई165, एम एस ओ जी, एम एस ओ एफ एफ, एम एस सी जी, एल सी के, त्रुटिपूर्ण, एस ए ई1006एस, एस ए ई1010ड्ब्ल्यू, एस ए ई1010एस, एस ए ई1006 से 1022, एस ए ई1023एस, ई एन32बी, ए105, 10बी21एम/ 15बी25एम, 15बी41
राउंड्स	एम सी-एच एमएन	एस ए ई1029एस, एस ए ई1030, 35सी8, ई एन8ए, ई एन8, ई एन8डी, सी के 45, एस ए ई1049, ई एन9, ई एन15बी, 37सी15, एस ए ई1524एस, एस ए ई1541, ई एन15, 20सी15, 27सी15, एस ए ई1524सीआर, एम सी सी जी एमएन, 16/20 एमएन सीआर5, एमएन सीआर5सी जी, 40/41 सीआर4, सी-70, एम सी सी जी सीआर, एम सी ओ एफ एफ, एम सी सी जी, हेच सी सी जी, हेच सी ओ एफ एफ.
सेमिस	समूह-III	आई एस 2830, आई एस2830 में एस एल/पी सी, आई एस14650-आई एस1786/आई एस7887/आई एस2062, आई एस 14650 में एस एल/पी सी, आई एस 2830सीयू, आई एस2831, ड्ब्ल्यू टी, एस एल/ओ डी-ड्ब्ल्यू टी, एम एस-एस एल, एम एस-पी सी, एम एस ओ जी, एम एस ओ जी-एस एल/ओ डी, एम एस ओ एफ एफ/एम एस सी जी, त्रुटिपूर्ण-एम एस, ई क्यू, एस ए ई1008एस, एस ए ई1012एस, एस ए ई1008 से एस ए ई1022, एस ए ई1023एस, एस ए ई1025एस, ई एन32बी, आई एस2830-सी20एम एमएन-श्रेणी ए, ए105,पी सी(>1.5मी)
सेमिस व फोर्जड राउंड्स	एम सी-एच एमएन	एस ए ई1029एस, एस ए ई1030, 35सी8, ई एन8ए, ई एन8, ईएन8डी, सी के 45, एस ए ई1049, ई एन9, ईएन15बी, 37सी15, एस ए ई1524एस, एस ए ई1541, ई एन15, 20सी15, 27सी15, एस ए ई1524सीआर, एम सी सी जी एमएन, 16/20 एमएन सीआर5, 16/20 एम एन सीआर5 में पी सी/एस एल, एम एन सी आर5सी जी, एम एन सीआर5सी जी में पी सी/एस एल, 40/41सीआर4, सी-20, ई एन 43डी, वाईजाग-टी एल टी, एम सी सी जी सीआर, एम सी ओ एफ एफ, एम सी सी जी, एम सी-एस एल, एम सी-पी सी, एच सी सी जी, एच सी ओ एफ एफ, एच सी ओ जी
सेमिस	स्प्रिंग इस्पात	38 एसआई7, 55एसआई7, 60एसआई7, 65एसआई7, एस यू पी-9, एस यू पी-11ए, एस यू पी10, एस एस सी जी, एस एस ओ एफ एफ, एच सी सी जी सीआर
रीबार	सभी	आई एस1786-एफई-415/415डी/500/500डी/550/550डी, सी आर एम/एच एस सी आर एम, त्रुटिपूर्ण, ओ जी, एम एस ओ एफ एफ
संरचना-त्मक	सभी	आई एस2062 ई250ए, आई एस2062 ई165, आई एस8500, आई एस2062 ई250 सीयू ए, ओ जी, एम एस ओ एफ एफ, मिश्रित, त्रुटिपूर्ण.

अनुलग्नक-1

<u>समझौता ज्ञापन</u>

(कोरे कागज पर निष्पादित किया जाय)

बाजार की संभाव्य आवश्यकतओं को जानने की दृष्टि से और समय-समय पर इस्पात सामग्री की आपूर्ती करने हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादन योजना तय करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर ....वीं तारीख ....महीने............वर्ष को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (रा इ नि लि) और...(इसके बाद ग्राहक बुलाया जाएगा) के बीच हस्ताक्षर किया गया|

इस समझौता ज्ञापन की वैद्यता की अवधि एक (1) वर्ष (या उसके अंतर्गत) दि................से ....तक होगी और इसमें सामग्री की निम्नलिखित श्रेणियाँ तथा मात्राएँ शामिल होंगी|

योजक कोड नं.	इच्छुक उत्पाद	आवश्यक मात्रा (एम टी)
कुल मात्रा		

ऊपर सूचित उत्पादवार मात्रा केवल संकेतिक है और समझौता ज्ञापन कुल मात्रा के लिए है|

यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और ग्राहक के बीच यह समझौता ज्ञापन दबावपूर्ण संविदा नहीं है तथा शाखा स्तर पर सीधे वितरण/स्टॉकयार्ड प्रेषण के माध्यम से उपलब्धता के आधार पर लौह व इस्पात माल की आपूर्ती के लिए पार्टियों के बीच समझौता ज्ञापन पर भविष्य में संविदा(ओं) पर हस्ताक्षर होगा|

समझौता ज्ञापन के निबंधन व शर्तें संलग्नक में विस्तृत रूप में हैं(अनुलग्नक-अ)|

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अधिकारी का नाम व पदनाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरी ग्राहक का नाम व पदनाम

<u>वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन</u>

1.0 उद्देश्य:

1.0 माँग और बाजार की दक्षता का अनुमान करना तथा इस्पात की माल की आपूर्ती करने हेतु राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में उत्पादन की योजना का निर्णय करना ही समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है|

2.0 समझौता ज्ञापन की श्रेणियाँ:

कोड नं.	उत्पाद	किनसे समझौता ज्ञापन किया जाता है?
एस एस-1	वॉयर रॉड क्वॉयल्स-उच्च कार्बन	री-रोलर, फोर्जिंग इकाइयों, टी एल टी के विनिर्मात,ब्राइट बार उद्योग, वॉयर ड्राइंग इकाइयाँ आदि सभी के मूल उपयोगकर्ता
एस एस-2	सेमीस (स्क्वेयर, बिल्लेट्स व ब्लूम्स) – स्प्रिंग इस्पात	
सी एस-1	वॉयर रॉड क्वॉयल्स (समूह-I व एम सी-हेच एमएन) व राउंड्स (समूह-II व एम सी-हेच एमएन)	
सी एस-2	राउंड्स (समूह-II व एम सी-हेच एमएन), सेमीस (समूह-III व एम सी-हेच एमएन) व फोर्जड राउंड्स	
सी एस-3	रीबार, संरचनाएँ व राउंड्स के सभी प्रकार की आकृतियाँ व श्रेणियाँ	सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी विभाग, स्थानीय संकाय, नगर निगम, निर्माण व मूलसंरचना की संस्थाएँ, संविदाकारों, प्रोफाइलिंग/फाब्रिकेटिंग कार्य के सेवा केंद्र, शिक्षा संस्थाएँ आदि स्वचालित संकाय और खुदरे व्यापारियाँ

सूचना:

अ) उपर्युक्त समूहों के अधीन जोए गए समूहों को अनुलग्नक-1 में सूचित किया गया|

आ) समझौता ज्ञापन की मात्राएँ मूल उपयोग कर्ता के स्थापित क्षमताओं तक सीमित की जाएगी|

इ) सिर्फ स्वयं की खपत की आवश्यकताओं के अनुसार ही समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकते हैं|

ई) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सभी नियत ग्राहक लेने योग्य पात्रता के उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश कर सकते हैं|

3.0 समझौता ज्ञापन की सामान्य शर्तें:

3.1 समझौता ज्ञापन के एक साल की अवधि दि....................से ....तक होगी या उसके बाद|

3.2 ग्राहक अपनी खपत के लिए आवश्यक किसी एक या उत्पादों के मिश्रण का चयन कर सकता है और उत्पाद-वार ब्रेक-अप के साथ संपूर्ण मात्रा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है**|** यदि स्वयं की खपत के लिए विविध कोड संख्या के अधीन उत्पादों की आवश्यकता हों तो**,** बहु समझौता ज्ञापन का भी अनुमति दी जाती है**|**

3.3 सिर्फ मुख्य श्रेणियों के लिए ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा सकता हैं| फिर भी, समझौता ज्ञापन के संबंध में उपलब्धता के साथ-साथ परस्पर करार के आधार पर ओ जी, सी जी, ऑफ, एस एल, ओ डी, ई सी, छाँटे गए, त्रुटिपूर्ण जैसे सामान्य माल को भी आपूर्ती कर सकेंगे|

3.4 विविध क्षेत्रों में एक ही नाम और ढंग से कई इकाइयों के साथ प्रचालन करनेवाले कंपनियाँ/संस्थाएँ एकल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं| संघों, समूहों सहायक कंपनियों (असंबद्ध कंपनियों के साथ) के साथ भी एकल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे समझौता ज्ञापन के समय सभी सहभागी नाम सूचित करते हैं|

3.5 अनुच्छेद 4.4 के अनुसार तिमाही मात्रा और समझौता ज्ञापन की मात्रा/संशोधित समझौता ज्ञापन की मात्रा में से न्यूनतम 90% उठाई करने वाले ग्राहक टी क्यू आई के पात्र होंगे और समझौता ज्ञापन की पूर्ति में सफल माने जाएँगे|

3.6 परस्पर करार के आधार पर समझौता ज्ञापन के अधीन प्रतिबद्ध मात्राओं को बढ़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुरोध की प्राप्ति के समय उठाई गई मात्रा समझौता ज्ञापन की मात्रा से 90% कम हो| समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है|

3.7 समझौता ज्ञापन के अधीन मात्राओं को मूल समझौता ज्ञापन की मात्रा के 90% तक कम किया जा सकता है| समझौता ज्ञापन की अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पहले ग्राहक द्वारा इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है| ग्राहक के अनुरोध के अनुसार यदि समझौता ज्ञापन की मात्रा बढ़ायी जाने पर, तदुपरांत ग्राहक को मात्रा कम करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान किसी भी समय समझौता ज्ञापन की मात्रा को 90% तक कम करने का विकल्प है|

4.0 कुल मात्रा प्रोत्साहन:

4.1 सभी ग्राहक समझौता ज्ञापन की सफलतापूर्वक पूर्ति करने पर, निम्नसूचित अनुसार फ्लेट स्लॉब में योग्य मात्रा से संबंधित कुल मात्रा प्रोत्साहन के पात्र होंगे, बशर्ते कि निम्नसूचितानुसार पात्रता के मानदंड की पूर्ति करें:

कुल मात्रा प्रोत्साहन में रुपए प्रति एम टन	**एस एस-1/एस एस-2/सी एस-1/सी एस-2** वर्ष 2010-11 की उठाई		**सी एस-3** वर्ष 2010-11 की उठाई	
	से अधिक (एम टी)	तक (एम टी)	से अधिक (एम टी)	तक (एम टी)
50	240	1500	500	2400
75	1500	4500	2400	7200
100	4500	9000	7200	14400
125	9000		14400	

4.2 सफलतापूर्वक समझौता ज्ञापन की पूर्ति, लेकिन मूल/बढ़ाई गई समझौता ज्ञापन की पात्र मात्रा से अधिकतम 120% तक उठाई जाने पर टी क्यू आई का भुगतान किया जाएगा| नीति के अधीन दी गयी अनुमति के अनुसार ग्राहक यदि मात्रा को कम करने के विकल्प का उपयोग करते हैं तो, समझौता ज्ञापन की कम की गयी मात्रा पर टी क्यू आई लागू होगा न कि समझौता ज्ञापन के 120% तक| राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा मात्रा को कम करने का विकल्प का उपयोग किए जाने पर, कम की गयी समझौता ज्ञापन की मात्रा का 120% तक टी क्यू आई लागू होगा|

4.3 समूह समझौता ज्ञापन भी अनुमोदित है| टी क्यू आई की गणना के लिए समूह के द्वारा किए गए सभी क्रय जोड़ा जाएगा, जब वे सभी इकाइयों के नाम को सूचित करते हुए एक एकल वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के तदुपरांत बढ़त या कमी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी|

4.4 टी क्यू आई के पात्र होने के लिए ग्राहकों को न्यूनतम उठाई द्वारा नीचे दिए गए मानदंडों की पूर्ती करनी है|

अ) तिमाही-1 के समझौता ज्ञापन – प्रथम दो तिमाहियों में 40%, यानि दि.30 सितंबर, 2010 तक उठाई|

आ) तिमाही-2 के समझौता ज्ञापन – तिमाही–2 में 20%, तिमाही 2 व 3 में 55%.

इ) तिमाही–3 के समझौता ज्ञापन – तिमाही-3 में 40%.

ई) वार्षिक पूर्ती-कुल समझौता ज्ञापन का 90%

उपर्युक्त (अ), (आ), (इ) में सूचित मानदंड के अनुसार पूर्ती करने में विफल ग्राहक, टी क्यू आई राशि का 90% के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे उपर्युक्त (ई) का पूर्ति किए हो| हालांकि, मात्रा की पूर्ति के मानदंड से एस एस आई सी और एन एस आई सी को छुट दिया गया है और उपर्युक्त 37.0 की सारणी के अनुसार वास्तव में उठाई गई मात्रा के लिए 100% टी क्यू आई के पात्र होंगे|

4.5 फ्लेट सीमा के आधार पर उपर्युक्त सारणी 4.1 में सूचितानुसार समझौता ज्ञापन की मात्रा के अनुरूप ग्राहक टी क्यू आई के लिए पात्र होंगे| टी क्यू आई की राशि पूर्ण और एकमुश्त होगी और सीमा शुल्क, शिक्षा कर, बिक्री कर, वेट आदि जैसे सांविधिक उगाही के लिए किसी प्रकार के समायोजन के बिना साख सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी|

4.6 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन की अवधि के पिछले महीने के दौरान यदि आमोदित आदेशों के तहत माल की आपूर्ती नहीं किए जाने पर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने विवेक से ऐसी मात्राओं की पूर्ति करने या तत्पश्चात महीने के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि को बढ़ाने के संबंध में विचार कर सकता है|

4.7 समझौता ज्ञापन के निबंधन सामान्यतः बिक्री नीति के निबंधनों से मार्गदर्शित है, जो वेबसाईट में उपलब्ध है| फिर भी, उपर्युक्त सूचित विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, विभेद होने पर, बिक्री नीति में सूचित प्रावधानों का अधिक्रमण होगा|

5.0 साख:

5.1 कंपनी की आवश्यकताओं और ग्राहक की ऋण योग्यता के आधार पर प्रबंधन के विवेचन के अनुसार पात्र ग्राहकों को साख बढ़ाया जा सकता है|